

015

23-7-15

उत्तराखण्ड शासन


गृह अनुभाग-4

संख्या-1238/बीस-4/2015-4(37)/2015

देहरादून: दिनांक: 28 जुलाई, 2015

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महानिरीक्षक कारागार,  
उत्तराखण्ड देहरादून।


कृपया शासन की अधिसूचना संख्या: 1236/बीस-4/2015-1(37)/2007,  
दिनांक 20.07.2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड जेल रिजर्व बंदीरक्षक तथा जेल बंदीरक्षक  
सेवा (संशोधन) नियमावली, 2015 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर  
प्रेषित की जा रही है।  
संलग्नक:- यथोक्त।

  
20.7.2015  
(विनोद शर्मा)  
सचिव

5  
10(40)

UP  
DAP  
28/7

SO-V/10 जेल

  
28/7/15

7/15

उत्तराखण्ड शासन  
गृह अनुभाग-4  
संख्या: 1236/बीस-4/2015-1(37)/2007  
देहरादून: दिनांक 20 जुलाई, 2015

अधिसूचना  
प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड जेल रिजर्व बंदीरक्षक तथा जेल बंदीरक्षक सेवा नियमावली, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तराखण्ड जेल रिजर्व बंदीरक्षक तथा जेल बंदीरक्षक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जेल रिजर्व बंदीरक्षक तथा जेल बंदीरक्षक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2015 है।  
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियमावली के नियम-8(1), 10, 14 के उपनियम 2(क), 15(3) का प्रतिस्थापन

2. उत्तराखण्ड जेल रिजर्व बंदीरक्षक तथा जेल बंदीरक्षक सेवा नियमावली, 2011 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा ; अर्थात्

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

1. नियम-8(1) का संशोधन

8(1) शैक्षिक अर्हताएं- विद्यालय शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड से हाई-स्कूल परीक्षा अथवा राज्यपाल महोदय द्वारा उसके समकक्ष घोषित परीक्षा उत्तीर्ण हो।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

8(1) शैक्षिक अर्हताएं- विद्यालय शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष घोषित परीक्षा उत्तीर्ण हो।

2. नियम-10 का संशोधन

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

10 आयु- सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी की आयु उसके कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायें, 18 वर्ष हो जानी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ;

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों,

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

10 आयु- सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी की आयु उस कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायें, 21 वर्ष हो जानी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ;

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थी की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने

त जनजातियों और ऐसी वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।  
 श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा  
 समय पर अधिसूचित की  
 य, अभ्यर्थी की स्थिति में उच्चतर  
 आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी,  
 जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

3. नियम-14 के उपनियम 2 (क) का संशोधन-

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

14 सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया (2)  
 (क) लिखित परीक्षा 100 अंको, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन के विषय की होगी, जिसमें बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे,

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

14 सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया (2). (क) शारीरिक दक्षता में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा अधिकतम 100 अंको की बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा में प्रतिभाग किया जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु अधिकतम 100 अंक निर्धारित होंगे, जिसमें से 50 अंक सामान्य अध्ययन के प्रश्नों हेतु तथा 50 अंक गणितीय अभियोग्यता तथा सामान्य तर्क शक्ति के प्रश्नों हेतु निर्धारित होंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

4. नियम-15 का संशोधन

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

15 शारीरिक योग्यता (3)- लिखित परीक्षा में घोषित अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण उक्त नियम उपधारा (1) के अनुसार किया जाएगा। शारीरिक परीक्षण में असफल रहने वाले अभ्यर्थियों के स्थान पर उसके वर्ग की प्रतीक्षा सूची में अगले अभ्यर्थी को शारीरिक परीक्षण हेतु बुलाया जाएगा। शारीरिक परीक्षण केवल अर्हकारी परीक्षा है, इसके लिए कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिए जाएंगे।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

15 शारीरिक योग्यता (3)- भर्ती हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पहले शारीरिक नापजोख नियमावली के नियम 15(1) में दिये गये विवरण के अनुसार होगी। शारीरिक नापजोख में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को ही शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा (पूर्णांक 100) निम्न विवरणानुसार होगी जिसमें अभ्यर्थी को कुल न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा किसी भी आईटम में 50 अंक प्रतिशत से कम अंक पाने की दशा में अभ्यर्थी को उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से पृथक कर दिया जाएगा :-

क्र०	आईटम का नाम	दूरी/समय	अंक
1	क्रिकेट बाल श्रो (पूर्णांक 20)	50 मीटर	10
		55 मीटर	12
		60 मीटर	14
		65 मीटर	16
		70 मीटर	20
2	लम्बी कूद (पूर्णांक 20)	13 फिट	10
		14 फिट	12

		15 फिट	14
		16 फिट	16
		17 फिट	18
		18 फिट	20
3	चिनिंग-अप (बीम) (पूर्णांक 20) (अभ्यर्थी अन्डर ग्रीप/ओवर ग्रीप, जो चाहे कर सकता है)	5 बार छूना	10
		7 बार छूना	12
		8 बार छूना	14
		9 बार छूना	16
		10 बार छूना	20
4	(क) बैठक (पूर्णांक 10)	50 दो मिनट में	4
		65 दो मिनट में	6
		80 दो मिनट में	8
		100 दो मिनट में	10
	(ख) दण्ड (पूर्णांक 10) (दण्ड एवं बैठक के प्राप्तांक मिलाकार न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है)	25 चार मिनट में	4
		35 चार मिनट में	6
		50 चार मिनट में	8
		75 चार मिनट में	10
5	दौड़ व चाल (3 कि०मी०) (पूर्णांक 20)	20 मिनट में	10
		18 मिनट में	12
		16 मिनट में	14
		14 मिनट में	16
		12 मिनट में	18
		10 मिनट में	20

नोट- (1) शारीरिक दक्षता परीक्षा उपरोक्त क्रम में होगी।

(2) उपरोक्त लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों को सम्मिलित करके वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में पहले उनकी शैक्षिक योग्यता एवं तत्पश्चात् उनकी आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होगा।

आज्ञा से,

  
(मनीषा पंवार)  
प्रमुख सचिव